

प्रस्ताव हेतु अनुरोध
(खुली निविदा पद्धति के माध्यम से)

मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए आवश्यक
आंतरिक/मरम्मत कार्य के लिए विक्रेता का चयन

आरएफपी संदर्भ सं: - एमआरओ/ एमआरओ/डाक/2023/00044 दिनांकित 13 दिसंबर, 2023



मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय
तीसरी मंजिल, 45, वीर नरीमन रोड,
बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग,
फोर्ट, मुंबई - 400001
वेबसाइट: <https://nhb.org.in/>
+91-22-22851560-62
+91-8130393453
ई-मेल: romum@nhb.org.in

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण

1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री शुरू होने की तारीख	14.12.2023
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक (तिथि और समय)	20.12.2023:1500 बजे
3.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय	02.01.2024:1700 बजे
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय	03.01.2024
5.	निविदा दस्तावेज की लागत	शून्य
6.	बयाना जमा राशि	22,000/-
7.	बोली जमा करने/खोलने का स्थान	मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक, तीसरी मंजिल, 45, वीर नरीमन रोड, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई-400001

नोट: -

तकनीकी बोलियां उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो उपर्युक्त के अनुसार भाग लेने का विकल्प चुनते हैं। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तारीख, समय और स्थान तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को बाद में सूचित किया जाएगा।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है।

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

(ख) रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा एक क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ और गुवाहाटी, रायपुर, पटना, जयपुर, भुवनेश्वर में स्थित हैं।

3. प्रयोजन:

रा.आ.बैंक मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक, 45, वीर नरीमन रोड (तीसरी मंजिल), बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई - 400001 में आरएफपी में परिभाषित कार्य के दायरे के अनुसार कार्य करने के लिए सीलबंद बोलियां (न्यूनतम पात्र मानदंड और वाणिज्यिक बोली सहित तकनीकी बोली) आमंत्रित करता है।

4. उद्देश्य:

इस आरएफपी का उद्देश्य फोर्ट, मुंबई स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय के लिए आवश्यक इस आरएफपी में परिभाषित कार्य के दायरे के अनुसार आंतरिक/मरम्मत कार्य करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित करना है।

5. कार्य क्षेत्र:

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

6. प्रदेय:

संपूर्ण कार्य कार्य आदेश जारी होने की तिथि या बैंक द्वारा तय की जाने वाली तिथि से 7 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

7. अनुबंध की अवधि:

अनुबंध अवधि में परियोजना को पूरा करना और उसके बाद विनिर्माण दोषों के लिए 12 महीने शामिल होंगे। बोलीदाता काम पूरा होने की तारीख से 12 महीने तक किसी भी विनिर्माण दोष के लिए जिम्मेदार होगा और इस वारंटी अवधि के भीतर बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के दोष की आवश्यक मरम्मत/सुधार करेगा। यदि दोषों की रिपोर्ट करने के एक सप्ताह के भीतर मरम्मत/सुधार नहीं किया जा रहा है, तो रा.आ.बैंक बाजार से इसकी मरम्मत/सुधार कराने के लिए स्वतंत्र होगा और प्रतिधारण राशि से आवश्यक वसूली की जाएगी।

एलओए की स्वीकृति की तारीख या एनएचबी द्वारा तय की गई ऐसी अन्य तारीख अनुबंध की शुरुआत की तारीख होगी ("प्रारंभिक तिथि")

टिप्पणी:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं हैं, या विशेष रूप से वर्णित हैं लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र के तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

8. बोलीदाताओं को निर्देश

8.1 सामान्य: -

- विकास, तैयारी, एवं प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने सहित किसी भी प्रकार से संबद्ध लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो एवं रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा और स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक पात्र बोलीदाता को सूचीबद्ध करने/चयन करने के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए दस्तावेज में विनिर्दिष्ट चयन मानदंडों को अपने पूर्ण विवेक से लागू कर सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करते ही यह सुनिश्चित करता है, उसे आरएफपी और अस्वीकरण की शर्तों स्वीकार है।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

नाम	श्री चेतन खरबिकर	श्री राम नारायण चौधरी
पदनाम	सहायक प्रबंधक	क्षेत्रीय प्रबंधक
ईमेल आईडी	romum@nhb.org.in	romum@nhb.org.in
फोन नंबर	+91-22-22851560-62 +91-95990 68633	+91-11-39187137/ +91-22-22851560-62 +91-8130393453

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- प्रश्न/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर, सोमवार से शुक्रवार को 1030 बजे से 1730 बजे के बीच बोली जमा करने की समय सीमा से पहले ऊपर बताए गए संपर्क व्यक्ति/व्यक्तियों के साथ उठाया जा सकता है।
- बोली खोलने की तिथि और/या हस्ताक्षर करने की तिथि पर बोलीदाता को वित्त मंत्रालय या राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी भी वित्तीय सेवाएं विभाग/व्यय विभाग द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से काली सूची में नहीं डाला गया/वर्जित नहीं किया जाना चाहिए।

- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।

8.2 बोली-पूर्व बैठक एवं निर्माण-स्थान का दौरा

8.2.1 इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेह को दूर करने के उद्देश्य से, एनएचबी इस आरएफपी में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार बोली-पूर्व बैठक आयोजित कर सकता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न, लिखित रूप में, **20 दिसंबर, 2023, 10:30 बजे या उससे पहले** ई-मेल द्वारा पहुंच जाने चाहिए। यह ध्यान दिया जाए कि बोली-पूर्व बैठक के बाद किसी भी बोलीदाता के किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली-पूर्व बैठक में ही दिया जाएगा। बोली-पूर्व बैठक में केवल बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी।

8.2.2 प्रस्ताव/बोली जमा करने से पहले, विक्रेता राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्य दिवसों पर सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे (शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर) के बीच राष्ट्रीय आवास बैंक की साइट पर जा सकते हैं जहां यह काम किया जाना है। उक्त यात्रा के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बोलीदाता/विक्रेता को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

8.3 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर दिनांक 14.12.2023 से उपलब्ध कराई जाएगी। बोलीदाताओं को निविदा/आरएफपी दस्तावेज डाउनलोड करना आवश्यक है।

8.4 निविदा/आरएफपी की गैर हस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

8.5 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी फॉर्म में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी

मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.6 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

- बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ. बैंक, किसी भी कारण, संशोधन द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में सुधार कर सकता है।
- संशोधन रा.आ. बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर पोस्ट किया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
- रा.आ. बैंक किसी भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को स्क्रेप करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।

8.8 प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता को वास्तविक मूल्य बोली की प्रति प्रस्तुत करना भी आवश्यक है (वास्तविक मूल्यों को प्रच्छादन (मास्किंग) करके रा.आ.बैंक को अलग से प्रस्तुत किये जा रहे रा.आ.बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार) की प्रति होती है। यह अनिवार्य है। वह बोली अयोग्य ठहराई जा सकती है यदि इसे यथोचित ढंग से प्रच्छादन करते हुए प्रस्तुत न किया गया हो। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय पर बोली अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि 'प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली' का प्रारूप/विवरण (मूल्य के सिवा) प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से नहीं मिलती है।

8.9 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

8.10 बोली में शामिल दस्तावेज (कृपया निर्देशों का पालन करें, यदि कोई है, तो प्रारूप में अलग-अलग निर्धारित किया गया है)

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

8.11 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रुपये (आईएनआर) में उद्धृत की जाएंगी। भारतीय रुपये के अलावा अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.12 बयाना जमा-राशि (ईएमडी)

क- सभी प्रतयुत्तर **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई भुगतान के माध्यम से 22,000/- रुपये (बाईस हजार रुपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा से युक्त हों।

खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

क्र.सं.	प्रकार	विवरण
1)	लाभार्थी नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2)	लाभार्थी पता	कोर 5 ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
3)	लाभार्थी बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक
4)	लाभार्थी बैंक की शाखा	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5)	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6)	बैंक खाता सं.	52142903844
7)	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBIN0020511
8)	एमआईसीआर सं.	110004005

ख- भुगतान का प्रमाण संलग्न करें एवं तकनीकी बोली वाले लिफाफे में रखें ऐसे न करने पर बोली के मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता को ईसीएस अधिदेश प्रापत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक है यथा **अनुलग्नक - VI** में संलग्न है।

ग- उचित रूप और तरीके में ईएमडी के बिना प्राप्त किसी भी बोली को अनुत्तरदायी और अस्वीकार माना जाएगा।

घ- ईएमडी से छूट के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड- जैसा यहां बताया गया है वैसा या फिर जैसा निर्धारित करार में बताया गया है, सभी असफल बोलीदाताओं की बयाना जमा राशि निविदा प्रक्रिया के पूरा होने या कार्य/अनुबंध दिए जाने के 15 दिन बाद से पहलोपर लौटा दिया जाएगा।

च- जैसा कि यहां या निश्चित समझौते में अन्यथा प्रदान किया गया है, को छोड़कर, सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि आरएफपी के अन्य नियमों और शर्तों के अनुपालन में अनुबंध अवधि की समापन तिथि से 15 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

छ- ईएमडी प्रतिभूति जब्त की जा सकती है:

- यदि बोलिदाता बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोलीयां वापस ले लेता है।
- यदि बोलिदाता कोई बयान देता है या किसी भी फोर्म को संलग्न करता है जो संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी समय गलत/त्रुटिपूर्ण हो।
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता संविदा हस्ताक्षर में विफल रहता है; और
- पूर्व अनुबंध अखंडता समझौते के किसी भी उल्लंघन के मामले में

8.13 कार्यान्वयन अनुसूची

बोलीदाता को कार्य आदेश की तारीख से सात सप्ताह के भीतर परियोजना पूरी करनी होगी।

8.14 कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)

शून्य

8.15 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से छ माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली की प्रतिभूति भी बढ़ा दी जाएगी।

8.16 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

प्रत्येक बोली दो भागों में होगी:

- **भाग I:** न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली तथा प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली (बिना किसी मूल्य के मूल्य बोली) शामिल हैं। उपरोक्त कंटेन्ट "तकनीकी प्रस्ताव" के रूप में उल्लिखित किए जाएंगे।

- **भाग II : "वाणिज्यिक प्रस्ताव"** के रूप में उल्लिखित होने के बाद केवल वाणिज्यिक बोली कवर करेंगे।
- वास्तविक बोली पक्की स्याही से टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए तथा संविदा के बोली लगाने के लिए बाध्य के विधिवत प्राधिकृत बोलीदाता अथवा एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षित होनी चाहिए। व्यक्ति अथवा व्यक्ति जो बोली हस्ताक्षर कर रहे हैं, असंशोधित मुद्रित साहित्य के अलावा बोली के सभी पृष्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

8.17 बोलियों की सीलिंग एवं चिन्हांकन

- सभी लिफाफे नीचे दिए गए पते पर एनएचबी को संबोधित किए जाएंगे:

क्षेत्रीय प्रबंधक
मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय आवास बैंक
45, वीर नरीमन रोड (तीसरी मंजिल)
बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग
फोर्ट, मुंबई-400001

- सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा होना चाहिए।
- बोलीदाता तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग-अलग मुहर बंद करेगा।
- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और यथा लागू इसके ऊपर 'राष्ट्रीय आवास बैंक मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के लिए आवश्यक आंतरिक/मरम्मत कार्य हेतु तकनीकी प्रस्ताव' और 'राष्ट्रीय आवास बैंक मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के लिए आवश्यक आंतरिक/मरम्मत कार्य हेतु वाणिज्यिक प्रस्ताव' अलग से लिखा हो।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और सहारा के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगा।

8.18 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।

- बैंक स्व निर्णयानुसार, रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर सूचित करते हुए बोली दस्तावेजों को संशोधित करके बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा सकता है, उस स्थिति में, बैंक और बोली दाता के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व वृद्धित अंतिम तारीख तक पूर्ववत रहेंगे।

8.19 विलम्ब से प्राप्त बोलियां

बैंक द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद बैंक को प्राप्त बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोली दाता को लौटा दिया जाएगा।

8.20 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान:

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक, तीसरी मंजिल, 45, वीर नरीमन रोड, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई-400001

बोलीदाता के नाम और अपेक्षित ईएमडी के होने या नहीं होने तथा अन्य ब्योरे जिसे बैंक अपने निर्णयानुसार उचित समझता है, की घोषणा तकनीकी बोली खोलने के समय की जाएगी।

8.21 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स/ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.22 प्रारम्भिक जांच

- रा.आ. बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।
- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बिड की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

8.23 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

8.24 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक द्वारा सौंपे गए कार्य को रा.आ.बैंक के पूर्व लिखित अनुमति को छोड़कर किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं कर सकता है और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने खुद की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही निपटाएगा।

8.25 कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न

- बोलीदाता को अनुलग्नक XII में उपलब्ध संरचना के अनुसार सख्ती से लागत मैट्रिक्स सप्ष्ट तौर पर प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रकार की अवहेलना होने पर बोली निरस्त कर दी जाएगी। वाणिज्यिक बोली के अलावा कोई अन्य विकल्प कोट नहीं किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी विकल्प होंगे तो बोली निरस्त की जा सकती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव स्थिर कीमत आधार पर होगा। संविदा अवधि के दौरान सौंपे गए किसी कार्य के लिए कर रहित (वर्तमान एवं भविष्य) परामर्श की लागत से संबंधित किसी मूल्य परिवर्तन को वहन नहीं किया जाएगा।
- सांविधिक संशोधन के अनुसार केवल जीएसटी का भुगतान किया जाएगा।
- परियोजना कार्यान्वयन तिथि आदेश पत्र की स्वीकृति तिथि (प्रारंभिक तिथि) या रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य तिथि होगी। यदि लागू हो तो सहायता सेवाओं आदि के नवीकरण हेतु उक्त तिथि पर ही विचार किया जाएगा।
- कोई भी अतिरिक्त वस्तु/कार्य अर्थात्, वह वस्तु/कार्य जो बीओक्यू में उल्लिखित नहीं है, केवल रा.आ.बैंक के अधिकारी के लिखित निर्देश पर ही स्थापित/किया जाएगा। हालाँकि, परियोजना कार्य के दौरान आवश्यक बीओक्यू वस्तुओं या/और अतिरिक्त वस्तु/कार्य की दर, यदि कोई हो, का भुगतान राज्य/केंद्र द्वारा दरों की मानक अनुसूची (एसएसआर) दर विश्लेषण प्रदान करने के बाद महाराष्ट्र राज्य में लागू वस्तु की न्यूनतम दर के अनुसार किया जाएगा।

8.26 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

सेवा प्रदाता/बोलीदाता के पास इस परियोजना के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में उचित और पर्याप्त सहायता तंत्र होना चाहिए।

8.27 मैनुअल/दस्तावेज

सेवा प्रदाता को संविदा की अवधि के दौरान आपूर्ति किए गए सेवाओं हेतु अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध करानी होगी। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होंगे और उनमें आपूर्ति की गई सेवाओं का स्पष्ट संकेत होना चाहिए।

8.28 बोली मूल्यांकन

परियोजना के लिए सबसे कम लागत (कुल लागत Z: अनुलग्नक XII) प्रस्तुत करने वाली बोली का चयन किया जाएगा।

8.29 संशोधन एवं आहरण

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य माना जाएगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व-बोली बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता बन जाता है तो बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद/कोई भी वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8.30 कीमतों को प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

8.31 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती हैं तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें निविदा के इस आमंत्रण पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं हैं तो वे खंड अनुलग्नक-IV के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शाएँ कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

8.32 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

8.33 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

8.34 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि वेंडर ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। वेंडर के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में वेंडर की क्षमता एवं इस परियोजना में वेंडर की रुचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

8.35 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाय।

8.36 कानूनों का अनुपालन

(क) सफल बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएंके बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारी वर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

- (ख) सफल बोलीदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे बैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक लेखा परीक्षा फर्म को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।
- (ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत लेखा परीक्षा फर्म के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8.37 बौद्धिक संपदा अधिकार

बोलीदाता वारंट देता है कि समवर्ती परीक्षा फर्म के रूप में इसके चयन की स्थिति निम्नलिखित हैं:

- (क) इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले इनपुट, किसी भी प्रकृति के कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।
- (ख) यह आगे की गारंटी देता है कि वितरित किसी भी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों, कॉपीराइट, पेटेंट और किसी भी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित, का उल्लंघन नहीं करेगा।
- (ग) ऐसी स्थिति में जब प्रदेय तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन के दावे का विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा और व्यय पर: (क) ऐसे प्रदेय का उपयोग जारी रखने हेतु रा.आ.बैंक के लिए खरीद का अधिकार; (ख) ऐसे प्रदेय को बदलने या संशोधित करने के लिए उन्हें गैर-उल्लंघनकारी बनाकर प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि समान कार्य प्रतिस्थापन या संशोधित प्रदेय द्वारा उल्लंघनकारी प्रदेय के रूप में किया जाता है; अथवा (ग) यदि उपयोग करने का अधिकार खरीद नहीं हो सकता या प्रदेय को प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जा सकता तो प्रदेय की विवरणी को स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे प्रदेय के लिए बोलीदाता को दी गई किसी भी राशि के लिए साथ ही रा.आ. बैंक द्वारा लगाए गए दंड के अतिरिक्त समान उपकरणों की खरीद के लिए रा.आ. बैंक द्वारा किए गए प्रतिस्थापन लागत रा.आ. बैंक को प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। तथापि, इस संबंध में रा.आ.बैंक किसी भी तरह के व्यय, प्रभार, शुल्क या किसी प्रकार की लागतों को नहीं उठाएगा। मौजूदा उपायों के बावजूद, बोलीदाता प्रस्तावित समाधान का उपयोग करने के लिए रा.आ. बैंक की असमर्थता के कारण यदि सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है तो दंड के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

बोलीदाता स्वीकार करता है कि व्यापार तर्क, कार्य प्रवाह, प्रतिनिधिमंडल और रा.आ. बैंक के निर्णय लेने की प्रक्रिया और समर्पण संवेदनशील व्यापार प्रकृति के हैं और इसलिए इसे अन्य ग्राहकों, एजेंट या सॉफ्टवेयर के वितरकों को नहीं भेजा जाएगा। यदि परियोजना के क्षेत्र में वर्णित परियोजना के वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाता है और यदि आरएफपी में उल्लिखित की गई विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रणाली प्रक्रियाओं को सुधारने में असमर्थ है, तो इस परियोजना को अपूर्ण माना जाएगा।

8.38 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदिनिविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

- यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल धरोहर राशि जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- यदि अनुबंध चरण में ऐसा कोई बयान पाया जाता है, तो रा.आ.बैंक अपने विवेक से पीबीजी को जब्त करने सहित अनुबंध को समाप्त करने के लिए आरएफपी में दिए गए अनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है।

8.39 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।

यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।

- बोलीदाता को अनुलग्नक में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- इस खंड के प्रयोजन हेतु:

क. “बोलीदाता” (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या

फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

ख. "इस आदेश के उद्देश्य हेतु "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता" का अर्थ: -

- (i) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्था;
या
- (ii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत सहायक कंपनी या संस्था; या
क देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में नियंत्रित की गयी संस्था; या
ख संस्था जिसका लाभकारी मालिक देश में स्थित है; या
ग संस्था का भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
घ साधारण व्यक्ति जो देश का नागरिक है; या
ङ सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

ग. उपर्युक्त (ख) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

- i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करने" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

- ii. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;
- iii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

- iv. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;
 - v. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी एवं कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।
- घ. एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

9. बोलियां (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) एवं बोली के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली

9.1 अनुबंध V में निर्धारित तकनीकी मूल्यांकन के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले बोलीदाता निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे; और अनुबंध V में उल्लिखित किसी भी मानदंड पर पात्र नहीं होने वाले बोलीदाताओं से प्राप्त बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे के वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नक - "क" के अनुसार बोली लगाने के लिए बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित तकनीकी जानकारी प्रदान की जानी है।

अनुलग्नकों हेतु कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

10. वाणिज्यिक निबंधन व शर्तें

बोलदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना की निम्नलिखित वाणिज्यिक निबंधन व शर्तों पर ध्यान दें।

10.1 मुद्रा

- क. बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।
- ख. कीमतें वाणिज्यिक बोली खुलने की तारीख से छह महीने के लिए वैध होंगी और बोलीदाता अतिरिक्त वस्तुओं, यदि कोई हो, की आपूर्ति उसी कीमत पर करेगा।
- ग. वाणिज्यिक बोली के अनुसार कीमत में सभी कर (जीएसटी को छोड़कर), शुल्क, लेवी शुल्क, परिवहन, बीमा शामिल होना चाहिए।
- घ. समायोज्य मूल्य कोटेशन के साथ प्रस्तुत की गई बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ङ. भविष्य की किसी भी आवश्यकता के लिए, वाणिज्यिक प्रस्ताव में उल्लिखित और इस आरएफपी की लागू शर्तों के अनुसार अनुबंधित मानव-दिवस दर पर ऑर्डर दिया जाएगा। आदेश को स्वीकार करने में विफलता पर एनएचबी के विवेक पर जुर्माना और इस आरएफपी को समाप्त करने की शर्तें लागू होंगी।

10.2 भुगतान की शर्तें

कोई भी भुगतान अनुलग्नक XVI में उल्लिखित मसौदे के अनुसार सेवा स्तर समझौते पर हस्ताक्षर करने और निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन सफल बोलीदाता द्वारा चालान जारी करने के बाद ही जारी किया जाएगा।

क्रम संख्या	परियोजना का समापन	परियोजना मूल्य के अंशों का भुगतान किया जाना है	देय राशि का प्रतिधारण धन 10% तक
i.	50%	40%	परियोजना मूल्य के 40% का 10%
ii.	25%	30%	परियोजना मूल्य के 30% का 10%
iii.	25%	30%	परियोजना मूल्य के 30% का 10%
कुल	100%	जैसा कि ऊपर बताया गया है, परियोजना मूल्य का 90% परियोजना मूल्य से 10% की कटौती के बाद भुगतान किया जाना है	

10.3 अनुबंध की समाप्ति के मामले में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो लागू दंड एवं टीडीएस/अन्य लागू करों की कटौती के बाद सेवाओं के लिए भुगतान एसएलए के आधार पर किया जाएगा, जिस अवधि हेतु सेवाएं प्रदान की गई हैं।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in – What's New

**किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी मूलपाठ मान्य होगा।*

-XXX-